ELECTION OF DIRECTORS - EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS, ETC.

In terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Shareholder Directors shall have to be appointed upon the extent of capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 of the Act.

The relevant Sections of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the relevant regulations of Indian Bank (Shares & Meetings) Regulations,1999 respectively in this regard, are reproduced below for the information of the shareholders.

THE BANKING REGULATION ACT, 1949

Prohibition of Common Directors – Section 16(1)

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director on its Board of Directors, any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on Loans and Advances - Section 20

- 1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no Banking Company shall
 - (a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or
 - (b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of -
 - (i) any of its Directors
 - (ii) any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or
 - (iii) any company not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which or the subsidiary or the holding company of which any of the Directors of the Banking Company is a Director, Managing Agent, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
 - (iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.
- Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made or is granted by a Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5; Provided that the Reserve Bank may, in any case on application in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank may deem fit:

Provided further that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

- 3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
- 4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then such period shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation in this Section -

- (a) "Loan or advance" shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section;
- (b) "Directors" includes a member of any Board or Committee in India constituted by a Banking Company for the purpose of managing, or for the purpose of advising it in regard to the management of, all or any of its affairs.
- 5) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.

2. THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970

Restrictions on voting rights

3(2E) No shareholder of the corresponding new Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank.

Composition of the Board of Directors

9(3)(i) Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is :-

- (i) not more than sixteen per cent of the total paid up capital, one Director
- (ii) more than sixteen per cent of the total paid up capital, but not more than thirty two per cent of the total paid up capital, two Directors.
- (iii) more than thirty two per cent of the total paid-up capital, three Directors

to be elected by the shareholders other than the Central Government from amongst themselves.

Provided that on the assumption of charge after election of any such director under this clause, equal number of directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the Scheme.

Provided further that in case the number of directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, in a corresponding new Bank exceed the number of directors specified in sub-clause (I) or sub-clause (II) or sub-clause (III), as the case may be, such excess number of directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for the premature retirement of their term of office.

- 9(3A) The Directors to be elected under the said clause (i) shall -
- (A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters, namely -
 - agriculture and rural economy
 - Banking
 - Co-operation
 - Economics
 - Finance
 - Law
 - Small scale industry
 - Any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank be useful to the corresponding new Bank.
- (B) represents the interests of depositors; or
- (C) represent the interest of farmers, workers and artisans

9(3AA) Without prejudice to the provision of sub-section 3(A) and notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as a Director under Clause (i) of Sub-Section (3) unless he is a person having 'fit and proper status' based upon the track record, integrity and such other criteria as Reserve Bank may notify from time to time in this regard.

9(3AB) The Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

9(3B) Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) and (3AA), it may after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirement of sub-section (3A) and (3AA) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank in the next Annual General Meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy:

Section 13(2): Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other employee of a corresponding new Bank shall before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

3. THE NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970

Term of office of elected Director

Clause 9 (4):

An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election. Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Disqualification of Directors

Clause 10

A person shall be disqualified for being appointed as and for being a Director:-

- (a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors or
- (b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- (c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude
- (d) if he holds any office of profit under any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from amongst the employees of the Bank.

Vacation of office of Directors

Clause 11

- If a Director becomes subject to any of disqualification specified in clause 10 or is absent without leave of the board for more than three consecutive meetings thereof, he shall deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
- 2. The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub section 3 of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
- 3. Without prejudice to the provision of the foregoing sub-clauses, the office of a Director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee other than workman of the Nationalized Bank of which he is a Director.
- 4. Where any vacancy occurs in the office of a Director other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Removal from office of an elected Director

Clause 11A:

The shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by the majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of the sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

Filling of vacancy in the office of an elected Director

Clause 11B

- (1) Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled by election.
 - Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled by the remaining Directors
- (2) A person elected or co-opted, as the case may be, under sub clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of interest by Directors

Clause 12(8)

A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalized Bank, shall, as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal:

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being:

- (i) a shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid up capital in any public Company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any corporation established by or under any law for the time being in force in India or any co-operative society, with which or to which the Nationalized Bank has entered into or made, or proposes to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal; or
- (ii) an officer or other employee of the Nationalized Bank, if he is a director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

IV. INDIAN BANK (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS, 1999

Exercise of rights of joint holders

Regulation 10: If any share stands in the names of two or more persons, the first named in the register shall as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Indian Bank except the transfer of shares be deemed to be the sole holder thereof.

Directors to be elected at general meeting

Regulation 55

- (i) A Director under clause (i) of sub-section 3 of Section 9 shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government from amongst themselves in the general meeting of Indian Bank.
- (ii) Where an election of a Director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of Directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

<u>List of shareholders</u>

Regulation 56

- (i) For the purpose of election of a Director under sub-regulation (i) of Regulation 55 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the Director is to be elected.
- (ii) The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

Nomination of candidates for election:

Regulation 57:

- (i) No nomination of a candidate for election as a Director shall be valid unless,
 - (a) he is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares in Indian Bank
 - (b) he is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme.
 - (c) he has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call;
 - (d) the nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of Indian Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company;
 - (e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an Officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a Director.

(ii) No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head office of Indian Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

Scrutiny of nominations:

Regulation 58:

- (i) Nominations shall be scrutinized on the first working day following the date fixed for receipt of nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason thereof. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election it shall stand cancelled.
- (ii) In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.
- (iii) A Director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is or is deemed to be elected.

Election disputes:

Regulation 59:

- (i) if any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of Indian Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
- (ii) On receipt of an intimation under sub-regulation (i) the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of Indian Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.
- (iii) The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared results of the election, or if it finds that the election was not a valid election, it shall, within thirty days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- (iv) An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

Voting Rights of Shareholders:

Determination of voting rights:

Regulation 60:

- (i) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of the closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.
- (ii) Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a Company, is present in person or by proxy or who being a Company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated hereinabove in sub-regulation (i)
 - Explanation for this chapter, "Company" means any body corporate.
- (iii) Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

Voting by duly authorized representative:

Regulation 61:

- (i) A shareholder, being the Central Government or a Company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officers or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a "duly authorized representatives" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or the Company which he represents, as if he were an individual shareholder of Indian Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorized representative of the Central Government/ Company.
- (ii) No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of Indian Bank as the duly authorized representative of the Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Indian Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

RBI'S FIT AND PROPER CRITERIA GUIDELINES

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & transfer of undertakings) Act 1970/1980 has issued notification DBOD BC No.46/29.39.001/2007-08 dated November 01,2007 laying down specific "Fit and Proper "Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of the Banks under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & transfer of undertakings) Act 1970/1980.

SALIENT FEATURES OF THE GUIDELINES

1. The Authority, Manner/ Procedure and Criteria for deciding the "Fit and Proper" status etc., are as under:

(a) Authority:

All the nationalized banks are required to constitute a "nomination committee" consisting of a minimum of three directors (all independent/non-executive directors) from amongst the Board of Directors. The Board of Directors should also nominate one among them as Chairman of the nomination committee. The quorum required is three, including the Chairman. In case of absence of any member already nominated, the board of directors may nominate any other independent director in his place for the ensuing meeting. At the time of constituting the nomination committee the board can decide on its tenure.

(b) Manner and procedure:

The nomination committee should undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing elected directors/the person to be elected as a director under Sec 9 (3)(i) of the Act ibid. For this purpose, the banks should obtain necessary information and declaration, in the prescribed format from the existing elected directors/persons, who file their nominations for election. The nomination committee should meet before the last date of acceptance of nominations in case of candidate to be elected and decide whether or not the person's candidature should be accepted based on the criteria mentioned below. The committee's discussions should be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting if done should also be noted in case of both existing and proposed Directors. Based on the information provided in the signed declaration, Nomination Committee should decide on the acceptance or otherwise of the candidate and may make references, where considered necessary to the appropriate authority/persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.

(c) Criteria

The nomination committee should determine the 'fit and proper' status of the existing elected directors/proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

- (i) Educational qualification
- (ii) Experience and field of expertise
- (iii) Track record and integrity

The Nomination Committee should see whether the non-adherence to any of the above criteria would hamper the existing elected director/proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the bank. Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority/regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of a bank

(d) Other matters

It is desirable that it is ensured, in the public interest, that the elected directors execute the deed of covenants (as recommended by the Dr.Ganguly Group vide RBI circular <u>DBOD.No.BC.116/08.139.001/2001-02 dated 20th June 2002</u> and also every year as on 31st March.

It is also mandatory that all the elected directors must furnish a simple declaration every year as on 31st March that the information already provided by them has not undergone any change and where there is any change, requisite details are furnished by the directors forthwith. If there are any significant changes, the nomination committee should undertake the due diligence exercise afresh and examine the 'fit and proper' status of the director.

GUIDELINES FOR SELECTION OF PART-TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR

The following criteria may be adopted for nomination of part-time non-official directors (NOD) on the boards of public sector banks/financial institutions etc.

EXPERIENCE

- 1. Persons of eminence with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, Risk Management, industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.
- Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs / EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The CMDs / EDs will not be considered for appointment as NOD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs / EDs of PSB will not be considered for appointment as NOD on the Board of any other PSB.
- 3. Academicians / Directors of premier Management / Banking Institutes and Professors having more than 20 years experience.
- 4. Chartered Accountants with 20 years experience (excluding audit experience) would also be preferred.

EDUCATION

An NOD should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT. Educational qualifications may be relaxed with the approval of ACC in case of farmers, depositors and artisans.

AGE

The age of the Director, on the date of recommendation by Search Committee should not be more than 67 years.

WORK EXPERIENCE

Professionals / academicians should ordinarily have 20 years of work experience in the particular field.

DISOUALIFICATION

- A Director already on a Bank / Financial Institution (FIs) / RBI / Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NOD in any other Bank / FI / RBI / Insurance Company.
- 2. Persons connected with hire purchase, financing, investment, leasing and other parabanking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/Fls/RBI/Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for appointment as NOD, if they are not having any managerial control in such companies.
- No person may be re-nominated as a NOD on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company on which he / she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.
- 4. A Chartered Accountant if his / her firm is currently engaged in any Public Sector Bank as a Statutory Central Auditor.
- 5. A Chartered Accountant if his / her firm is currently engaged in the Bank as a Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor.

TENURE

An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company if such Director has already been a NOD / shareholder-Director on the board of any other Bank/FI/RBI/Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

निदेशकों का निर्वाचन – संबंधित अधिनियमों, योजना तथा विनियमों आदि के उद्धरण

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के अनुसार अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2 बी) के खंड (सी) के अंतर्गत जारी पूंजी की मात्रा के आधार पर शेयरधारक निदेशकों की नियुक्ति करनी होगी।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 तथा इंडियन बैंक (शेयर तथा बैठकें) विनियमावली, 1999 के संबंधित विनियमों को शेयरधारकों के सूचनार्थ नीचे पुनः प्रस्तुत किया जाता है।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

सामान्य निदेशकों का निषेध – धारा 16(1)

भारत में कोई भी बैंकिंग कंपनी ऐसे किसी व्यक्ति को निदेशक मंडल में नहीं ले सकती जो किसी अन्य बैंक में निदेशक हो।

ऋण और अग्रिम पर प्रतिबंध – धारा 20

- 1) कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में किसी बात के अन्यथा होते हुए भी, कोई भी बैंकिंग कंपनी
 - (ए) अपने ही शेयरों की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं करेगी अथवा
 - (बी) निम्नलिखित को या उसकी ओर से न तो किसी प्रकार के ऋण या अग्रिम प्रदान करेगी और न ही वचनबद्धता करेगी —
 - (i) अपने किसी निदेशक
 - (ii) किसी भी फर्म जिसमें कोई निदेशक साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटीकर्ता के रूप में हित रखता हो, या
 - (iii) कोई ऐसी कंपनी जो बैंकिंग कंपनी की अनुषंगी न हो या कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अंतर्गत पंजीकृत हो या सरकारी कंपनी हो जिसमें या जिसकी अनुषंगी या जिसकी धारक कंपनी में बैंकिंग कंपनी का कोई निदेशक, प्रबंधन अभिकर्ता, प्रबंधक, कर्मचारी या गारंटीकर्ता हो या जिसमें यह पर्याप्त रूप में हितबद्ध हो, अथवा
 - (iv) ऐसा कोई व्यक्ति जिससे उसका कोई निदेशक साझेदार या गारंटीकर्ता के रूप में हितबद्ध हो।

2) अगर किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा मंजूर ऋण या अग्रिम इस प्रकृति का है कि जिस दिन ऋण या अग्रिम प्रदान किया गया था, उस तिथि को उपधारा(1) के खंड (ख) के लागू होने की स्थिति में उसे मंजूर करने का वचन नहीं दिया जा सकता था अथवा वह किसी बैंकिंग कंपनी द्वारा बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम,1968 (1968 का 58) के आरंभ के पूर्व हुई वचनबद्धता के अनुसरण में मंजूर किया गया हो तो बैंकिंग कंपनी को मूल रकम पर देय ब्याज, यदि कोई हो, सिहत ऋण या अग्रिम देते समय निर्धारित अविध के भीतर या जहां ऐसी कोई अविध निर्धारित की गई हो, वहां उक्त धारा 5 के प्रारंभ से एक वर्ष पूरा होने के पूर्व, वसूली हेतु उपाय किए जाने चाहिए। शर्त है कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग कंपनी द्वारा इस संदर्भ में उसके पास किये गये लिखित आवेदन पर किसी मामले में ऋण या अग्रिम की वसूली अविध को ऐसी तिथि तक बढ़ा सकता है जो उपर्युक्त धारा 5 के प्रारंभ होने से तीन वर्ष से अधिक की अविध की तिथि न हो। यह विस्तार ऐसी शर्तों एवं नियमों के अधीन होगा जिन्हें रिज़र्व बैंक उचित समझे।

यह भी शर्त है कि यह उपधारा संबंधित निदेशक की मृत्यु, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या अन्य किसी कारण से बैंकिंग कंपनी के निदेशक का पद रिक्त होने पर लागू नहीं होगी।

- 3) उप धारा (2) या उसके किसी भी भाग में उल्लिखित कोई भी ऋण या अग्रिम रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना भेजा नहीं जाएगा तथा ऐसे अनुमोदन के बिना किया गया कोई भी प्रेषण अमान्य एवं अप्रभावी होगा।
- 4) जहां उप धारा (2) में संदर्भित कोई ऋण या अग्रिम किसी भी व्यक्ति द्वारा देय हो तो उक्त उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर बैंकिंग कंपनी को उस ऋण की चुकौती न किये जाने की स्थिति में ऐसे व्यक्ति को, उक्त अवधि की समाप्ति की तिथि को बैंकिंग कंपनी का निदेशक होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि जैसे उसने उक्त तिथि को अपना पद त्याग दिया हो।

व्याख्या-इस धारा में

(ए) "ऋण या अग्रिम" में कोई भी ऐसा लेन—देन शामिल नहीं होगा जिसे रिजर्व बैंक लेन—देन के स्वरूप, उक्त लेन—देन के कारण देय होनेवाली किसी भी रकम की वसूली के संभाव्य समय, तरीके एवं परिस्थियाँ, जमाकर्ताओं के हितों और प्रासंगिक प्रतिफलों पर विचार करते हुए इस धारा के प्रयोजन हेतु ऋण या अग्रिम न होने का सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा उल्लेख किया हो।

- (बी) "निदेशक" से तात्पर्य है, प्रबंध करने के उद्देश्य से अथवा प्रबंधन हेतु सभी या उसके किसी कार्य के संबंध में सलाह देने के उद्देश्य से भारत में बैंकिंग कंपनी द्वारा गठित किसी मंडल या समिति का सदस्य।
- 5) अगर ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए कोई लेन—देन ऋण है या अग्रिम है, तो मामला भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रेषित किया जाएगा और इस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।

2. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970

मतदान अधिकार पर प्रतिबंध

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2 ई) की शर्तों में तदुनुरूपी नये बैंक के कोई शेयरधारक जो केन्द्रीय सरकार से अन्य हो, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के एक प्रतिशत से अधिक भारित करता हो, इस संबंध में मतदान अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

निदेशक मंडल का गठन

धारा 9(3) (i) : धारा 3 की उपधारा (2 ख) के खण्ड (ग) के अंतर्गत जारी की गई पूंजी :

- (i) जहाँ कुल प्रदत्त पूंजी के 16 प्रतिशत से अधिक नहीं, एक निदेशक
- (ii) जहाँ कुल प्रदत्त पूंजी के 16 प्रतिशत से अधिक हो किंतु 32 प्रतिशत से अधिक नहीं हो, दो निदेशक
- (iii) कुल प्रदत्त पूंजी के 32 प्रतिशत से अधिक, तब तीन निदेशक; ऐसा निर्वाचन, केन्द्रीय सरकार के अलावा, अन्य शेयरधारकों को अपने में से करना है।

बशर्ते कि इस खण्ड के अधीन ऐसे किसी निदेशक के निर्वाचन के बाद कार्यभार ग्रहण करने पर इस योजना में विशिष्ट रूप से दिए गए अनुसार खण्ड (एच) समसंख्या में निदेशकों को सेवानिवृत्त होना चाहिए।

बशर्त कि आगे बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम एवं वित्तीय संस्था कानून (संशोधन अधिनियम 2006) के आरंभ होने पर या उसके पहले तदनुरूपी किसी नये बैंक में निर्वाचित निदेशकों की संख्या के मामले में उपखंड 1 या उपखंड 2 उपखंड 3 में निर्दिष्ट निर्वाचित निदेशकों की संख्या से अधिक हो, यथास्थिति निदेशकों की ऐसी अधिक संख्या, जो ऐसे आरंभ के पहले निर्वाचित किए गए, ऐसी रीति में सेवानिवृत होंगे जैसा कि

योजना में निर्दिष्ट की जाएगी और ऐसे निदेशक अपने कार्यावधि के अवधिपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे।

- 9 (3 ए) कथित खण्ड (i) के अधीन निर्वाचित निदेशक को
- (ए) निम्न में से किसी एक अथवा अधिक विषयों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव हो
 - कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
 - बैंकिंग
 - सहकारिता
 - अर्थशास्त्र
 - वित्त
 - विधि
 - लघु उद्योग
 - किसी अन्य विषय में विशेष ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में नये बैंक के लिए उपयोगी हो।
- (बी) निवेशकों के हित का प्रतिनिधित्व करता है या
- (सी) कृषकों, श्रमिकों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता है।

9(3एए) उप धारा 3 (ए) के प्रावधान के प्रति पूर्वाग्रह के बिना अधिनियम या अन्य कानून जो अभी प्रचलित हो, इसके विरूद्ध किसी बात के होते हुए भी उप धारा 3 खंड (i) के तहत कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक उसका पिछला रिकार्ड, सत्यनिष्ठा और ऐसे अन्य मानदंड जोकि रिजर्व बैंक इस संबंध में समय समय पर अधिसूचित करता हो, के आधार पर योग्य एवं उचित हैसियत को व्यक्ति न हो।

9(3एबी) उप धारा 3(एए) के तहत जारी की गई अधिसूचना में, रिजर्व बैंक, यह भी विनिर्दिष्ट करेगा कि, ''उचित व योग्य'' हैसियत निर्धारित करने वाला प्राधिकारी कौन है, यह निर्धारण कैसा किया जाएगा, निर्धारण के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जाएगी और अन्य मामले जो आवश्यक या प्रासंगिक माने जाएँगे।

9(3बी) जहां रिजर्व बैंक का यह मत हो कि तदनुरूपी नये बैंक के कोई निदेशक जो उपधारा 3 के खंड (i) के तहत निर्वाचित हो, उप धारा (3ए) उप धारा 3 (एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता हो, ऐसे निदेशक और बैंक को उनकी सुनवाई के लिए समुचित अवसर देने के बाद आदेश के जिरए ऐसे निदेशक को हटा सकता है और ऐसे हटाए जाने पर निदेशक मंडल उप धारा (3ए) उप धारा 3 (एए) की अपेक्षा को पूरा करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को इस प्रकार हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर निदेशक के रूप में तब तक सहयोजित करेगा जब तक तदनुरूपी नये बैंक के शेयरधारकों द्वारा अगली वार्षिक सामान्य बैठक में सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित किया जाता है और इस प्रकार सहयोजित व्यक्ति को तदनुरूपी नये बैंक के शेयरधारकों द्वारा सम्यक रूप से निदेशक के रूप में निर्वाचित किया गया माना जाता है।

निष्ठा एवं गोपनीयता का दायित्व

धारा 13 (2) : प्रत्येक निदेशक, स्थानीय बोर्ड या किसी समिति के सदस्य या समनुरूपी नये बैंक के लेखा परीक्षक, सलाहकार, अधिकारी या अन्य कर्मचारी अपना पदभार ग्रहण करने से पहले तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट फार्म में निष्ठा एवं गोपनीयता की घोषणा करेंगे।

3. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970

निर्वाचित निदेशक का पद-काल

खंड 9 (4)

निर्वाचित निदेशक का कार्यकाल तीन वर्ष होगा और पुनर्निवाचित होने के लिए भी पात्र होगा।

बशर्तें कि ऐसा निदेशक नियमित रूप से अपने कार्यालय में 6 वर्ष से अधिक अवधि तक अपने पद पर बना नहीं रह सकेगा।

निदेशकों की अनर्हता

खंड 10

निम्नलिखित तरह के व्यक्ति निदेशक के रूप में निर्वाचित और निदेशक बनने के लिए अयोग्य है:

- (ए) यदि उसे कभी भी दिवालिया घोषित किया गया है अथवा उसने भुगतान आस्थगित किया है अथवा अपने ऋणदाता से समझौता किया है, अथवा
- (बी) यदि उसे असंतुलित दिमाग के व्यक्ति के रूप में पाया गया है और सक्षम न्यायालय ने उसे असंतुलित दिमाग के व्यक्ति के रूप में घोषित किया है, अथवा
- (सी) यदि उसे फौजदारी न्यायालय ने आपराधिक सजा सुनायी है अथवा उसने ऐसा अपराध किया है जिसमें नैतिक भ्रष्टाचार सम्मिलित हो अथवा

(डी) यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी अनुषंगी बैंक में लाभ का पद धारित करता है किंतु अपवादस्वरूप वह अधिनियम की धारा 9 की उप धारा 3 के (च) व (छ) खंडों के अंतर्गत बैंक के नामित, बैंक के कर्मचारियों में से, प्रबंध निदेशक ओर निदेशकों को सिमलित करते हुए पूर्णकालिक निदेशक का पद धारित कर सकता है।

निदेशक के पद का रिक्त होना खंड 11

- 1. यदि कोई निदेशक धारा 10 में विनिर्दिष्ट किन्हीं अनर्हताओं के अधीन आ जाता है या बोर्ड से अनुमित लिए बिना लगातार तीन से अधिक बैठकों में अनुपस्थित हो तो उसके बारे में यह समझ जाएगा कि उसने अपना पद त्याग दिया है और तदुपरांत वह पद रिक्त हो जाएगा।
- 2. अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) खण्ड (बी) या खण्ड (सी) या खण्ड (डी) में संदर्भित अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक सिहत पूर्णकालिक निदेशक अथवा निदेशक केन्द्रीय सरकार को लिखित रूप से सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्याग पत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत होने पर यह माना जाएगा कि यह पद रिक्त हो गया है, और कोई अन्य निदेशक लिखित रूप में केन्द्रीय सरकार को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकता है और ऐसा त्यागपत्र सरकार द्वारा इसकी सूचना प्राप्ति से प्रभावी होगा।
- 3. उपर्युक्त उपखण्डों के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के खण्ड (ङ) और (च) में संदर्भित निदेशक का पद, उक्त राष्ट्रीयकृत बैंक, जिसका वह निदेशक है, के कर्मचारी के अलावा कामगार या कर्मचारी के रूप में सेवानिवृत्त होते ही रिक्त हो जाएगा।
- 4. जहां निर्वाचित निदेशक के अलावा, निदेशक के पद की कोई रिक्ति हो जाती है तो वह अधिनियम की धारा 9 की उप धारा (3) के अनुसार भरी जाएगी।

निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना

खण्ड 11 एः

केन्द्रीय सरकार को छोडकर अन्य शेयरधारक ऐसे सभी शेयधारकों द्वारा धारित शेयर पूंजी का आधा से कम भाग धारित करने वाले शेयरधारकों के बहुमत से संकल्प द्वारा धारा 9 की उप धारा(3) के, खण्ड(1) के तहत निर्वाचित निदेशक को हटा सकते हैं और उसके स्थान पर रिक्ति को भरने हेतु दूसरे किसी व्यक्ति को निर्वाचित कर सकते हैं।

निर्वाचित निदेशक के पद की रिक्ति भरना

खण्ड 11 बी :

- (1) जहाँ किसी निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल की अवधि की समाप्ति से पहले कोई रिक्ति होती है तो रिक्ति निर्वाचन द्वारा भरी जाएगी । बशर्ते कि जहाँ रिक्ति की अवधि छः महीने से कम हाने की संभावना है, वहां शेष निदेशकों द्वारा उक्त रिक्ति भरी जा सकती है।
- (2) उप खण्ड(1) के अंतर्गत यथास्थिति निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति अपने पूर्वाधिकारी के कार्यालय की शेष अवधि के लिए पदग्रहण करेगा।

निदेशकों द्वारा हितों की घोषणा :

खण्ड 12 (8)

राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा या उसकी और से की गई या प्रस्तवित किसी संविदा, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से संबंध या हित रखनेवाला कोई निदेशक संबंधित परिस्थितियों का ज्ञान होने के बाद यथाशीघ्र मंडल को अपने हित का स्वरूप घोषित करेगा और जब तक कोई सूचना प्राप्त करने के लिए अन्य निदेशकों द्वारा उसकी उपस्थिति की अपेक्षा नहीं की जाएगी तब तक वह ऐसी संविदा, ऋण, प्रस्ताव पर चर्चा करते समय मंडल की बैठक में उपस्थित नहीं होगा और इस तरह ऐसा कोई निदेशक उपस्थित रहने पर ऐसी संविदा, ऋण व्यवस्था या प्रस्ताव पर मतदान नहीं करेगा।

बशर्ते कि इस उपखण्ड में दी गई कोई भी बात ऐसे निदेशकों पर मात्र इसलिए लागू नहीं होगी कि वह —

- (i) कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का I) में यथा परिभाषित किसी सार्वजनिक कंपनी या भारत में तत्समय लागू किसी विधि द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित किसी निगम या किसी सहकारी समिति में जिसके साथ या जिसमें उक्त राष्ट्रीयकृत बैंक ने कोई संविदा, ऋण व्यवस्था या प्रस्ताव किया हो या करने का प्रस्ताव रखता हो, प्रदत्त पूंजी का दो प्रतिशत से अनिधक प्रदत्त पूंजी धारित करनेवाला शेयरघारक (निदेशक के अलावा) है, या
- (ii) राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी या अन्य कर्मचारी यदि इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खण्ड (ई) या (एफ) के तहत निदेशक हो।

IV. इंडियन बैंक (शयर एवं बैठकें) विनियम, 1999

संयुक्त धारकों के हकों का प्रयोग

विनियम 10:

यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम में होता है, तो मतदान, लाभांश की प्राप्ति, नोटिसों को तामिल करना और इंडियन बैंक से संबंधित सभी या कोई अन्य मामलों का संबंध है, रजिस्टर में जिस शेयरधारक का नाम प्रथम स्थान पर है, उसे ही उन शेयरों का एक धारक माना जाएगा। इसके लिए अपवाद केवल शेयरों का अंतरण होगा।

आम बैठक में चुने जानेवाले निदेशक

विनियम 55

- (i) धारा 9 की उप—धारा 3 के खंड (i) के अधीन निदेशक का चुनाव, रिजस्टर में केन्द्र सरकार से अन्य जो शेयरधारक हैं, उनके द्वारा व उन्हीं में से किसी का इंडियन बैंक की आम बैठक में किया जाएगा।
- (ii) जहाँ किसी आम बैठक में किसी निदेशक का चुनाव करना है, तो उसकी नोटिस बैठक बुलानेवाली नोटिस में शामिल की जानी चाहिए। ऐसी हर नोटिस में इस बात को विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि कितने निदेशक चुने जाते हैं और रिक्तियों के ब्यौरे भी दिए जाने चाहिए जिसके लिए निर्वाचन आयोजित किया गया है।

शेयरधारकों की सूची

विनियम 56

- (i) इन विनियमों के विनियम 55 के उप—विनियम (i) के अधीन निदेशक के चुनाव के उद्देश्य हेतु, उन शेयरधारकों की, जिनके द्वारा निदेशक चुना जाता है, एक सूची बनाई जाएगी।
- (ii) इस सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या एवं शेयरों के क्रमांक साथ ही शेयरों की पंजीकृत करने की तारीखें और उसे बैठक की तारीख जिस दिन चुनाव होना है, उसकी तारीखें और जिस बैठक में चुनाव होने जा रहा है, उस बैठक के लिए तय तारीख पर वे जितने मतों के हकदार हैं उन

मतों की संख्या अंतर्विष्ट होनी चाहिए और सूची की कापियाँ प्रधान कार्यालय को आवेदन करने पर बोर्ड या प्रबंधन समिति द्वारा तय की जानेवाली कीमत पर बैठक की तारीख से कम से कम 3 सप्ताह पहले खरीद के लिए उपलब्ध होगी।

चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन:

विनियम 57:

- (i) निदेशक के रूप में चुनाव के लिए किसी उम्मीदवार का नामांकन तभी वैध होगा जब,
 - (ए) वह इंडियन बैंक के न्यूनतम 100 (एक सौ) शेयरों का धारक हैं।
 - (बी) वह नामांकन की प्राप्ति की आखिरी तारीख को अधिनियम के अधीन या योजना के अधीन निदेशक बनने के लिए अन्हें नहीं हो।
 - (सी) उसने बैंक के जितने शेयर धारण किए हैं, उनके संबंध में की गई सभी माँगों का भुगतान किया हो, चाहे उन्हें उसे अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से धारित किया हो, तथा भुगतान की माँग की पूर्ति के लिए तय तारीख तक किया हो।
 - (डी) यह नामांकन लिखित होना चाहिए और अधिनियम के अधीन निदेशकों के चुनाव के हकदार कम से कम एक सौ शेयरधारकों द्वारा या उनके द्वारा विधिवत नियत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, परंतु यदि यह नामांकन उक्त कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा किया जाना चाहिए और जहाँ ऐसे किया जाता है, वहाँ उस बैठक के, जिसमें यह संकल्प पारित किया जाता है, अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित उस संकल्प की सही प्रति इंडियन बैंक के प्रधान कार्यालय को प्रेषित की जानी चाहिए और ऐसी प्रति को उस कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाना चाहिए।
 - (ई) नामांकन में / के साथ उम्मीदवार की घोषणा अंतर्विष्ट संलग्न होनी चाहिए जो उम्मीदवार द्वारा किसी जज, मैजिस्ट्रेट, रिजस्ट्रार या सब-रिजस्ट्रार ऑफ एश्योरन्सेस या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित हो, घोषणा यह हो कि वह नामांकन स्वीकारता है और चुनाव लडने के लिए इच्छुक हो, और यह भी कि उसे या तो अधिनियम या योजना या इन विनियमों के अधीन निदेशक बनने के लिए अपात्र न किया गया हो।
- (ii) यह नामांकन तभी वैध होगा, जब वह सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ प्राप्त हुआ हो और सभी बातों में पूर्ण हो और जो बैठक के लिए तय तारीख से कम से कम चौदह दिन पहले इंडियन बैंक के प्रधान कार्यालय में पहुँचा हो।

नामांकनों की संवीक्षा:

विनियम 58:

- (i) नामांकन की प्राप्ति के लिए तय तारीख के बाद के प्रथम कार्य दिवस को नामांकनों की संवीक्षा की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है तो उसे अस्वीकृति का कारण रिकॉर्ड करते हुए अस्वीकृत किया जाएगा। यदि चुनाव द्वारा भरी जानेवाली किसी विशिष्ट रिक्ति के लिए केवल एक वैध नामांकन होता है, तो ऐसे नामांकित उम्मीदवार को उसी समय निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम और पता उस तरह निर्वाचित उम्मीदवार के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। ऐसे प्रसंग में, चुनाव के उद्देश्य से बुलाई गई बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा और यदि वह बैठक केवल उपरोक्त चुनाव के उद्देश्य से बुलाई गई थी, तब वह निरस्त होगा।
- (ii) चुनाव किए जाने के प्रसंग में, यदि चुने जानेवाले निदेशकों की संख्या से वैध नामांकनों की संख्या अधिक है, जिस उम्मीदवार के लिए बहुमत प्राप्त होता है, उसे निर्वाचित माना जाएगा।
- (iii) विद्यमान रिक्ति के लिए निर्वाचित निदेशक कार्यभार ग्रहण किया गया माना जाएगा जिस तारीख को निर्वाचित होता है या जिस तारीख को निर्वाचित माना जाता है, उस तारीख के ठीक बाद की तारीख को उसने कार्यभार ग्रहण किया माना जाएगा।

चुनाव विवाद :

विनियम 59:

- (i) निर्वाचित माने गए निर्वाचित घोषित व्यक्ति के पात्र या अपात्र होने के संबंध में या निदेशक की चुनाव की वैधता के संबंध में कोई संदेह या विवाद उत्पन्न होगा, तो उम्मीदवार बनने का इच्छुक व्यक्ति या ऐसे चुनाव में मत देने का हकदार शेयरधारक, ऐसे चुनाव के परिणाम की घोषणा की तारीख के सात दिनों के भीतर इंडियन बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को उसकी लिखित सूचना देगा और उक्त सूचना में उन आधारों के पूरे ब्यौरे देगा, जिनके कारण वह चुनाव की वैधता पर संदेह करता है या विवाद करता है।
- (ii) उप—विनियम (i) के अधीन सूचना की प्राप्ति के बाद, इंडियन बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक ऐसे संदेह या विवाद को उसी समय निर्णय के लिए समिति के समक्ष, प्रस्तुत करेंगे जिसके सदस्य प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उप—धारा (3) के खंड (बी) और (सी) के अधीन नामित कोई दो निदेशक होंगे।

- (iii) उप—विनियम (i) में संदर्भित समिति आवश्यक महसूस की गई पूछताछ करेगी और यदि वह पाती है कि किया गया चुनाव वैध चुनाव है, तो वह चुनाव के घोषित परिणामों की पुष्टि करेगी और यदि वह पाती है कि यह चुनाव वैध चुनाव नहीं था, तो वह पूछताछ के प्रारंभ से तीस दिनों के भीतर ऐसा आदेश देगी और ऐसे निदेश देगी जिसमें समिति को न्यायोचित लगनेवाली परिस्थितियों में नये चुनाव आयोजित करना अंतर्विष्ट होगा।
- (iv) इस विनियम के अनुसरण में ऐसी समिति का आदेश या निदेश निर्णायक होगा।

शेयरधारकों का मतदान हक :

मतदान हकों का निर्धारण:

विनियम 60:

- (i) अधिनियम की धारा 3 (2ई) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अधीन, आम बैठक की तारीख के पहले रिजस्टर को बंद करने की तारीख को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत हरेक शेयरधारक, ऐसी बैठक में हाथ उठाकर दिये जानेवाले एक मत का हकदार होगा और यदि मतदान होता है तो वह अपने द्वारा धारित हर शेयर के लिए एक मत का हकदार होगा।
- (ii) अधिनियम की धारा 3(2 ई) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अधीन, उपरोक्त प्रकार से मतदान करने के लिए हकदार शेयरधारक जोकि कंपनी नहीं है, व्यक्तिशः या प्रॉक्सी के ज़रिए उपस्थित है अथवा यदि वह कंपनी है तो उसने विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा या प्रॉक्सी द्वारा उपस्थिति दर्ज की है, तो वह हाथ उठाकर एक मत डालने का हकदार है और यदि चुनाव है तो वह अपने द्वारा धारित हरेक शेयर के लिए एक मत का हकदार है, जैसा कि यहाँ ऊपर उप—विनियम (i) में बताया गया है।
 - स्पष्टीकरण इस अध्याय के लिए, ''कंपनी'' का अर्थ है निकाय कार्पोरेट
- (iii) आम बैंठक में उपस्थित होने और मत देने के हकदार बैंक के शेयरधारक उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को (चाहे वह शेयरधारक हो या न हो) प्रॉक्सी के रूप में बैठक में उपस्थित रहने या मत देने हेतु नियुक्त कर सकता है लेकिन ऐसे नियुक्त व्यक्ति को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा।

प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान :

विनियम 61:

(i) केन्द्र सरकार या कंपनी रहनेवाला शेयरधारक, संकल्प के द्वारा, जैसा भी मामला हो, अपने किसी अधिकारी को या किसी अन्य व्यक्ति को शेयरधारकों की आम बैठक में प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और इस प्रकार से प्राधिकृत व्यक्ति (इन विनियमों में ''विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि'' के रूप में संदर्भित) केन्द्र सरकार या कंपनी जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, की ओर से उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार होगा, जोकि उसे इंडियन बैंक के व्यक्तिगत शेयरधारक रहने पर मिलती। इस प्रकार दिया गया प्राधिकार विकल्प के रूप में दो व्यक्तियों को दिया जा सकता है और ऐसी स्थिति में से कोई एक व्यक्ति केन्द्र सरकार / कंपनी के विधिवत् प्राधिकृत अधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

(ii) कोई भी व्यक्ति कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में इंडियन बैंक के शेयरधारक की बैठक में तभी उपस्थित रहेया या मतदान करेगा जब उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करनेवाले संकल्प की प्रतिलिपि, जिसे उस बैठक के, जिसमें यह संकल्प पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा "सत्य प्रति" के रूप में प्रमाणित किया गया हो, उस बैठक की तय तारीख के चार दिन पूर्व इंडियन बैंक के प्रधान कार्यालय में जमा की गयी हो।

भारतीय रिज़र्व बैंक के ठीक और उचित मानदंड संबंधी दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैं) ने, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 / 1980 की धारा 9 की उप—धारा (3 ए ए) के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 01 नवंबर, 2007 की अधिसूचना डीबीओडी बीसी सं.46 / 29.39. 001 / 2007—08 जारी की है, जिसमें बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 / 1980 की धारा 9(3)(i) के प्रावधानों के अधीन बैंकों के बोर्ड में निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति के ''ठीक एवं उचित'' होने संबंधी पूरा किये जानेवाले विशिष्ट मानदंड निर्धारित किए हैं।

इन दिशानिर्देशों की प्रमुख विशेषताएं

1. ''ठीक एवं उचित'' हैसियत का निर्णय करने के लिए प्राधिकार, पद्धति / क्रियाविधि तथा मानदंड निम्नानुसार हैं :

(ए) प्राधिकार:

सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में से कम से कम तीन निदेशकों की (सभी स्वतंत्र / गैर—कार्यपालक निदेशक) एक ''नामांकन समिति'' गठित करना आवश्यक है। निदेशक मंडल द्वारा उनमें से एक का नामांकन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया जाना चाहिए। बैठक में सदस्यों की संख्या, अध्यक्ष सहित, कम से कम तीन होनी चाहिए। पहले से नामित किसी निदेशक की अनुपस्थिति की स्थिति में, निदेशक मंडल आगामी बैठक में उसके स्थान पर किसी अन्य स्वतंत्र निदेशक को नामित कर

सकता है। नामांकन समिति का गठन करते समय, बोर्ड उसकी अवधि भी तय कर सकता है।

(बी) पद्धति एवं क्रियाविधि

अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के अधीन निदेशक के रूप में नियुक्त किये जानेवाले व्यक्ति / विद्यमान निर्वाचित निदेशकों के ''ठीक एवं उचित'' हैसियत निर्धारित करने के लिए नामांकन समिति को उचित अध्यवसाय वाली प्रक्रिया का अवलंब करना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, बैंकों को विद्यमान निर्वाचित निदेशकों से / चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करनेवाले व्यक्तियों से निर्धारित फार्मेट में आवश्यक सूचना और घोषणा प्राप्त करनी चाहिए। नामांकन समिति को चुनाव किए जानेवाले उम्मीदवार के मामले में नामांकन की स्वीकृति की अंतिम तारीख से पहले समिति की बैठक बुलानी चाहिए और तय करना चाहिए कि उस व्यक्ति की उम्मीदवारी को नीचे दिए गए मापदंडों के आधार पर स्वीकृत किया जाना चाहिए या नहीं। समिति की चर्चा को बैठक के औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में उचित रूप से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए और यदि मतदान किया गया हो तो विद्यमान और प्रस्तावित दोनों निदेशकों के मामले में उसे नोट किया जाना चाहिए। हस्ताक्षरित घोषणा में दी गई जानकारी के आधार पर, नामांकन समिति को उसी उम्मीदवार की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में निर्णय लेना चाहिए और जहाँ जरूरी हो उपयुक्त प्राधिकारी / व्यक्तियों से, यह सुनिश्चित करने के लिए कि निदर्शित आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है, सूचना मांगनी चाहिए।

(सी) मानदंड

नामांकन समिति को विद्यमान निर्वाचित निदेशकों / प्रस्तावित उम्मीदवारों का ''ठीक एवं उचित'' हैसियत निम्नलिखित स्थूल मानदंडों के आधार पर तय करनी चाहिए :

- (i) शैक्षिक अर्हता
- (ii) अनुभव एवं विशेष क्षेत्र में अनुभव
- (iii) ट्रैक रिकॉर्ड और सत्यनिष्ठा

नामांकन समिति को यह देखना चाहिए कि क्या उपर्युक्त मापदंडों में से किसी मानदंड के अननुपालन के कारण विद्यमान निदेशक / प्रस्तावित उम्मीदवार बैंक के बोर्ड पर निदेशक के रूप में कर्तव्य निभाने में बाधा आएगी। आगे, उम्मीदवार के किसी प्राधिकरण के / विनियामक एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस में आने के कारण या दिवालियापन या किसी बैंक या वित्तीय संस्थान के ऋण की चुकौती में चूक के कारण उसका बैंक के बोर्ड पर निदेशक होना गलत और अनुचित होगा।

(डी) अन्य मामले

यह वांछनीय है कि जनहित की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्वाचित निदेशक प्रसंविदा विलेख निष्पादित करता है और प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को नवीकृत करता है (जैसा कि डॉ गांगुली समूह ने भारतीय रिज़र्व बैंक के 20 जून 2002 के परिपत्र संख्या डीबीओडी सं.बीसी 116/08.139.001/2001—02 में सिफारिश की है।

यह भी अनिवार्य है कि सभी निर्वाचित निदेशक हर वर्ष 31 मार्च एक सामान्य घोषणा प्रस्तुत करें कि उन्होंने जो सूचना पहले से प्रस्तुत की है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसके आवश्यक ब्यौरे निदेशकों द्वारा तत्काल प्रस्तुत किए गए हैं। यदि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं तो नामांकन समिति को फिर से उचित अध्यवसाय की प्रक्रिया प्रारंभ करनी चाहिए और निदेशक के ''ठीक एवं उचित'' हैसियत की पुनः जाँच करनी चाहिए।

अंशकालीक गैर-सरकारी निदेशक के चुनाव संबंधी दिशानिर्देश

निम्नलिखित मानदंडों को सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों / वित्तीय संस्थानों इत्यादि के बोर्ड में अंश–कालिक गैर–सरकारी निदेशकों (एनओडी) के नामांकन के लिए अपनाया जा सकता है।

अनुभव

- 1. इस पद के लिए सामान्यतः विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण अथवा कृषि, ग्रामीण अर्थ व्यवस्था बैंकिंग, सहकारी, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कॉर्पोरेट कानून, जोखिम प्रबंधन, उद्योग और आईटी के क्षेत्रों में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त श्रेष्ठ व्यक्तियों पर विचार किया जाएगा। किसी उद्योग में 20 साल तक वरिष्ठ पद पर आसीन एवं संबद्ध क्षेत्र (सफलतापूर्वक एक प्रतिष्ठित संगठन का नेतृत्व किया हो जिसने एक असफल संगठन में टर्नअराउण्ड लाया हो।) में विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 2. संयुक्त सचिव एवं उससे उच्च पद पर आसीन अधिकारियों के लिए 10 वर्ष एवं सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के लिए 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त सीएमडी / ईडी, जिनकी सेवानिवृत्ति का एक वर्ष पूर्ण हो चुका हो। जिस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के सीएमडी / ईडी पद से कोई सेवानिवृत्त हुआ हो, उसे उस बैंक के बोर्ड में एनओडी पद देने पर विचार नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सेवा पर रहे सीएमडी को सार्वजनिक क्षेत्र के किसी अन्य बैंक के बोर्ड के एनओडी के रूप में नियुक्त करने पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 3. 20 वर्षों से अधिक अनुभव वाले प्रमुख प्रबंधन / बैंकिंग संस्थान के निदेशक / शिक्षाविद एवं प्रोफेसरर्स।

4. 20 साल के अनुभव वाले (लेखा अनुभव को छोडकर) चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को भी वरीयता दी जाएगी।

शिक्षा

नामित निदेशक कम से कम अधिमानतः व्यापार प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और आईटी में विशेषज्ञता के साथ स्नातक होना चाहिए। कृषकों, जमाकर्ताओं तथा कलाकारों के मामले में एसीसी के अनुमोदन से शैक्षणिक अर्हताओं में छूट दी जा सकती है।

आयु :

खोज समिति द्वारा सिफ़ारिश की तारीख पर निदेशक की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कार्य अनुभव :

व्यावसायिकों / शिक्षाविदों को अपने विशिष्ट क्षेत्र का कम से कम 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

अयोग्यता :

- 1. किसी बैंक / वित्तीय संस्थान (वि.सं) / भा.रि.बैं / बीमा कंपनी में, किसी भी संवर्ग में जो पहले से निदेशक है, उन्हें किसी दूसरे बैंक / वित्तीय संस्थान / भा.रि.बैं / बीमा कंपनी में बोर्ड के एनओडी के रूप में नामांकन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 2. भाड़ाक्रय, वित्तीयन, निवेश, पट्टा और पैरा—बैंकिंग क्रियाकलापों से जुडे व्यक्ति, सांसद, विधायक, एमएलसी और स्टॉक ब्रोकर बैंकों / वित्तीय संस्थानों / भा.रि.बैं / बीमा कंपनी के बोर्ड में गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किए जाएँगे। किराया खरीद, वित्तपोषण निवेश, पट्टे एवं अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों में निवेशकों को एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, यदि ऐसी कंपनियों में कोई प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं हो।
- 3. किसी बैंक / वित्तीय संस्थान/ भा.रि.बैं / बीमा कंपनी के बोर्ड पर विगत में किसी संवर्ग में दो पदाविधयों या छह वर्षों, इनमें से जो भी अधिक हो, के लिए निदेशक रह चुके व्यक्ति को उस बैंक / वित्तीय संस्थान के बोर्ड पर गैर—सरकारी निदेशक के रूप पुनः नामित नहीं किया जा सकता।
- 4. सनदीं लेखाकार, अगर उनका फर्म वर्तमान में किसी सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक में सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रहा हो ।
- 5. सनदी लेखाकार, अगर उनका फर्म बैंक में सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक / संगामी लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रहा हो।

कार्यकाल:

यदि कोई एनओडी पहले से ही किसी अन्य बैंक / वित्तीय संस्थान / भारतीय रिज़र्व बैंक / बीमा कंपनी के बोर्ड का छह वर्षों तक (लगातार या अंतरिम रूप से) शेयरधारक — निदेशक रहा हो, तो उन्हें किसी बैंक / वित्तीय संस्थान / भारतीय रिज़र्व बैंक / बीमा कंपनी के बोर्ड पर निदेशक के रूप में नामांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।